...ालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

1/221/2021 तारीख रजू..............

लाखन बनाम रामबाबू

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...1/21	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी के वकील श्री सुभाषचन्द चतुर्वेदी एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी गण जरिये समन तलब होकर पत्रावली वास्ते हाजरी दिनांक 18/10/21 को पेश हो। [signature]	न.नं. 878 / 23.11.21
3/10/21	मुताबिक रीडर पी.ओ./P.O. बाहर ..... पत्रावली दिनांक 13/12/21 को पेश हो। [signature]	
13/12/21	पत्रावली Pg K67 कम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान् .... अनुपस्थित .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 25/2/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
25/2/22	वकील वादी ......उपस्थित .... आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 11/3/22 को पेश हो। श्री ... रामजीलाल ने वकालतनामा प्रतिवादी पेश किया। प्रतिवादी वास्ते जवाब पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/3/23 कार्यवाही पेश हुई। बार बार पुकारे पक्षकार उपस्थित नहीं। P.O. रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को पेश हो।

20/4/23 वकील/पक्षकार उपस्थित। सक्षिक आदेश दिनांक 27/11/22 की पालना में पत्रावली वास्ते .... दिनांक 19/5/23 को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

19/5/23 वकील/पक्षकार उपस्थित। सक्षिक आदेश दिनांक 27/11/22 की पालना में पत्रावली वास्ते .... दिनांक 21/7/23 को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

21/7/23 वकील उपस्थित। प्रार्थना-पत्र 07 R 11 .... वकील सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 28/7/23 को पेश हो।

SDM

28/7/23 वकील उपस्थित। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 07 R 11 स्वीकार होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः प्र० पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार .... पत्रावली .... दाखिल दफ्तर की जावे।

SDM

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

लाखन बनाम रामबाबू वगैरा

मुकदमा नम्बर 1/221/2021

दावा इस्तकराहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

आदेश दिनांक 28/07/23

प्रतिवादी सं0 1–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य से प्रकार से है कि वादी ने इस वाद में अदालत सहायक जिलाधीश लक्ष्मणगढ के यहां पेश हुये राजीनामा व डिग्री दिनांक 24.06.1977 को चुनौती देते हुये बातिल व वेअसर करार दिये जाने का प्रस्तुत किया है। उक्त न्यायालय अदालत श्रीमान के समकक्ष न्यायालय है जिसने पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामा को विधिनुसार तस्दीक कर अपना निर्णय पारित करते हुये दावा डिकी दिनांक 24.06.1977 को किया है जिस राजीनामा एंव डिकी के विरूद्व वादी के सिविल न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए या वादी व्यथित है तो नियमानुसार अपील करनी चाहिए। अदालत श्रीमान को ऐसे वाद सुनने का कानूनन क्षैत्राधिकार नहीं है। वादी ने क्षैत्राधिकार विहिन न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है जो विधि से बर्जित होने से चलने योग्य नहीं है खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे जो तथ्य प्रगट किये है कि विना साक्ष्य के एंव दस्तावेज के आधार पर दावा नहीं चल सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने [illegible] लि[illegible] वहस पेश की है जिसमें अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादी [illegible] मौजूदा दावा अदालत श्रीमान में आरजी खसरा नम्बर 452–453 वाके ग्राम [illegible] तहसील कठूमर के 1/3

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हिस्सा की खातेदारी बाबत पेश किया है। जिस दावा की नकल व नोटिस प्रतिवादी सं0 1–2 को प्राप्त होने के वाद वकील से राय लेने के वाद उक्त दावे में जवाव दावा व जवाव दर0 पेश करने से पूर्व ही आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें इस्तदुआ चाही कि मौजूदा दावा को सुनने का अधिकार अदालत श्रीमान का नहीं है। कानूनन जहां अदालत को क्षैत्राधिकार न हो या किसी कानून से बाधित हो रहा हो तो दावा किसी भी स्टेज पर खारिज किया जा सकता है। दावे में न तो क्षैत्राधिकार है न मियाद है और न ही वादी को दावा लाने के लिये कोई बादसत्य पैदा होता है जिस कारण वाद वादी कानून से बाधित है। वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है वादी को दावा लाने वावत वादसत्य ही पैदा नहीं होता। वादी द्वारा सन् 1977 की डिक्री बताई है जिसे चैलेन्ज करने की अवधि तीन साल की है अव डिक्री का 45 साल हो चुके है डिक्री के अनुसार 45 साल पूर्व से ही प्रतिवादी सं0 1–2 वाद में वर्णित आराजी पर काविज है। डिक्री की जानकारी वादी स्वंय व उसके पिता रामसहाय व बाबा मुकन्दा को थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में उक्त डिक्री को चेलेन्ज नहीं किया। वादी दावा को अन्दर अवधि मानता है इसलिए दावा जानकारी के आधार पर मियाद में नहीं होता है। डिक्री को शून्य करण देने का अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। डिक्री को वही व्यक्ति ही चैलेन्ज कर सकता है जिसने राजीनामा वहला फुसलाकर या जोर जबर्दस्ती से करवाया जिस मुकन्दा जो राजीनामा कर्ता है जिसने डिक्री को चेलेन्ज नहीं किया ना उसके लडके रामसहाय ने डिक्री चेलेन्ज की। वादी तन्हा या अकेला डिक्री को चेलेन्ज नहीं कर सकता है।

ड अधिकारी
(अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अधिवक्ता प्रतिवादी के कथनों का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्त उभय पक्षकारान की वहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि वादी द्वारा दावा हाजा में डिक्री दिनांक 24.06.1977 को चेलेंज किया है जिस डिक्री को 46 साल हो चुके है। इस डिक्री की जानकारी वादी के पिता व बाबा रामसहाय व मुकन्दा को थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में उक्त डिक्री वावत कोई उज्र नहीं उठाये। कानूनन इस डिक्री को चेलेन्ज करने का अधिकार रामसहाय व मुकन्दा को ही था। क्योंकि वादी उनके द्वारा ही वहला फुसलाकर राजीनामा कराने का कथन करता है। सन् 1977 की डिक्री को निरस्त करने का अधिकार अदालत हाजा को हो व दावा वादी अन्दर मियाद है तो इन तथ्यों को वादी ने सावित नही किया है। इस वजह से वाद वादी कानून से प्रतिबन्धित पाया जाता है। प्रतिवादीगण अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहा है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद वादी इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी वाद संख्या 1/221 सन् 2021 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 28/07/23 को यह आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कठूमर (अलवर)